



आईएचबी लिमिटेड
(पूर्व में आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड)
इण्डियन ऑयल बिल्डिंग, सेक्टर-एफ, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ-226024
ईमेल: ihbpvtltd@gmail.com, info@ihbl.in, फोन: 0522-3572763
IHB Limited
(Formerly known as IHB Private Limited)
Indian Oil Building, Sector - F, Kapoorthala Aliganj, Lucknow- 226024
Email: ihbpvtltd@gmail.com, info@ihbl.in, Phone No. : 0522-3572763



आईएचबी/केजीपीएल/डी/1.1/फॉरेस्ट/42798

दिनांक: 23.08.2022

प्रभागीय वनाधिकारी

वन विभाग,

उन्नाव, लखनऊ, राय-बरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, मऊ

विषय: कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइप लाइन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अंतर्गत जनपद-उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे० संरक्षित वनभूमि प्रतापगढ़ में 0.0235 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे० संरक्षित वनभूमि जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे०, आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन, अर्थात् 0.2778 हे० संरक्षित एवं 3.7028 हे० आरक्षित कुल 3.9806 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव

संदर्भ: 1. ऑनलाइन प्रस्ताव: - FP/UP/Pipeline/42798/2019

2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/यू.पी./08/115/2022/एफ.सी./359 दिनांक 17.08.2022

महोदया /महोदय,

कृपया पत्रांक संख्या 8बी/यू.पी./08/115/2022/एफ.सी./359 दिनांक 17.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रस्ताव संबंधित प्रश्न जारी किए गए थे। प्रश्नों का निराकरण एवं अनुपालन बिन्दुवार निम्नलिखित है -

क्रमांक	उठाए गए प्रश्न	निराकरण
1.	In Part1, the User Agency is mentioned as Joint Venture (Pvt.+ Govt.). In such case Non-Forest land needs to be proposed for CA.	User Agency, IHB Limited is a JV of 03 Central Public Sector Undertaking (CPSU) of Government of India namely IndianOil, HPCL & BPCL incorporated in 2019 and for implementation and subsequent Operation & Maintenance of Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline. 100% shareholding of the JV lies with the CPSU's only. There is no private shareholders. Thus, the project qualifies under the clause 2.5(i) for w.r.t. CA.

Amit

CIN: U60230GJ2019PLC109127

Page 1 of 2

पंजीकृत कार्यालय : इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, साबरमती टर्मिनल, निकट- 'डी' केबिल, साबरमती, अहमदाबाद-380019 गुजरात
मुख्य कार्यालय : छठा तल, इण्डियन ऑयल भवन, ए-1, सेक्टर-1, उद्योग मार्ग, नोएडा-201301
Regd Office: Indian Oil Corporation Limited, Sabarmati Terminal Near 'D' Cabin, Sabarmati, Ahmedabad-380019 Gujarat
Head Office: 6th Floor, Indian Oil Bhawan, A-1, Sector-1, Udyog Marg, Noida- 201301

क्रमांक	उठाए गए प्रश्न	निराकरण
2.	It is not clear from the proposal that what was before and what is after the proposed alignment.	In UP State, the project envisages laying of LPG petroleum pipeline from MP/UP Border to BPCL, Gorakhpur Bottling plant. Proposal for diversion of Forest land from MP/UP Border to HPCL Bottling plant (except common forest land near HPCL, Unnao) in Unnao district is under consideration vide proposal no. FP/UP/Pipeline/42646/2019 . The subject proposal seeks diversion of forest land for non-forest use under Unnao – Gorakhpur section. The pipeline terminates in Deoria district. A Copy of Route map for the KGPL in UP state is enclosed herewith as Annexure-1 .
3.	Details of alternative alignments needs to be provided in .kml file and also on toposheets	Details of alternatives on toposheet is annexed in Form-1 of the proposal. .kml file of the alternatives is enclosed herewith as Annexure-2 .
4.	The number of trees to be felled is quite high. The CA is proposed on 8 Ha degraded forest land. To compensate for felling of 4466 trees additional CA for plantation of 4466x2 =8932 trees needs to be taken up. Accordingly, additional CA scheme to be submitted.	It is requested to kindly consider Dense Forestation on the land proposed for the CA which shall fulfill the requirement of plantation as required. Compensatory Afforestation area was calculated as per Forest Conservation Act & attention is solicited to letter dated 22.08.2022 of Nodal Officer, MoEF&CC, UP State (Annexure-3) Undertaking for payment of the entire amount for compensatory afforestation in lieu of the forest area diverted for non-forestry purpose has already been submitted. IHB also undertakes for the payment of the plantation as mandated.

शीघ्र कार्रवाई के लिए आपका सहयोग और सहायता वांछनीय है।

भवदीय

Amit Jain
23.08.22

अमित जैन

मुख्य प्रबंधक (परियोजना)

अमित जैन/AMIT JAIN

प्रबंधक (परियोजना)/Chief Manager (Project)

आईएचबी लिमिटेड/IHB Limited

राज्य निर्माण कार्यालय/Central Construction Office

इंडियन ऑयल भवन, सेक्टर-एफ

Indian Oil Building, Sector-F

पूथला, अलिगंज, लखनऊ-226024

Pooorthala, Aliganj, Lucknow-(U.P.) 226024

सलग्नक : यथा उपरोक्त

CC: नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय
कार्यालय, लखनऊ

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 615 / 11-सी-FP/UP/Others/42798/2019, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 22, 2022

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:-

मे० आई०एच०बी० लि० द्वारा कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइप लाइन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अंतर्गत जनपद-उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे० संरक्षित वनभूमि, प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे० संरक्षित वनभूमि, जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् 0.2778 हे० संरक्षित एवं 3.7028 हे० आरक्षित कुल 3.9806 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

महोदय,

भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०९/२०६/२०२२/एफ०सी०/३५९, दिनांक 17.08.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में 04 बिन्दुओं पर आपत्तियों की गयी है, जिसमें से आपत्ति सं०-4 में निम्न उल्लेख किया गया है:-

"The number of trees to be felled is quite high. The CA is proposed on 8 ha. Degraded Forest land. To compensate for felling of 4466 trees additional CA for plantation of $4466 \times 2 = 8932$ trees needs to be taken up. Accordingly additional CA scheme to be submitted."

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्ति/वांछित सूचना अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है। भारत सरकार की गाइडलाइन में दुगुने अवनत वनभूमि के अतिरिक्त बाधक वृक्षों के दोगुने पर अतिरिक्त वृक्षारोपण कराये जाने का कोई प्राविधान/आदेश संज्ञान में नहीं है।

अतः अनुरोध है कि कृपया विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित आपत्ति सं०-4 को हटाने की कृपा करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 615 / 11-सी-FP/UP/Others/42798/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर/गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, आजमगढ़, प्रयागराज एवं वाराणसी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, मऊ, जौनपुर, रायबरेली, वाराणसी एवं लखनऊ।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, आई०एच०बी० लि०, पहली मंजिल, विश्वशील परिसर, बी-2/6, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

Acy-1003

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

The map illustrates the proposed Bhopal-Varanasi Expressway route through Uttar Pradesh. The route is marked with a thick black line, and key locations are highlighted with red squares. The following table summarizes the key locations and their corresponding distances from the start of the route:

Location	Distance (KM)
END POINT OF BPCL BHOPL	CH.161+200.00
BPCL LPG BOTTLING PLANT (JHANSI)	CH.323+200.00
IOCI LPG BOTTLING PLANT (UNNAO)	CH.539+650.00
BPCL LPG BOTTLING PLANT (UNNAO)	CH.59+243.00
END POINT OF IOCI LUCKNOW	CH.42.590
END POINT OF BPCL LUCKNOW	CH.16.209
END POINT OF IOCI AJAHARAD	CH.16.297
END POINT OF BPCL AJAHARAD	CH.13.458
TAKE OFF POINT AT T POINT RUDAPUR	CH.0.000
END POINT OF HPCI PLANT	CH.16.209
TAKE OFF POINT AT T POINT VARANASI	CH.0.000
END POINT OF IOCI VARANASI	CH.0.000
END POINT OF BPCL VARANASI	CH.0.000

The map also shows the state boundaries of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Bihar. The expressway route is shown in black, and the state boundaries are shown in red. The map includes various districts and cities, providing a comprehensive overview of the proposed route.